



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-10.01.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बैंक कस्टमर द्वारा लोन चुकाने को दी गयी धनराशि को बैंक में जमा न कर गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट, धोखाधड़ी, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बैंक कस्टमर द्वारा लोन चुकाने को दी गयी धनराशि को बैंक में जमा न कर गबन करने वाले बैंक मैनेजर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 04.05.2024 को वादी श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र साधु सिंह निवासी ग्राम नोजल नोजली थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा ओबीसी बैंक को लोन चुकाने को दी गयी धनराशि 5,50,000/- रुपयों को मैनेजर द्वारा बैंक में जमा न कर गबन किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल सोनकर पुत्र हरि प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट जसपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा हाल पता कान्हा ग्रीन सिटी कालोनी थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. है0का0 अंकुर निर्वाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. का0 पंकज शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया हुआ बिजली का केबिल बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 06.01.2025 को वादी श्री वंटी सिंह निवासी बसंत विहार कुडाना रोड शामली द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काबडौत में ट्यूबवेलों से स्टार्टर व केबिल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर दी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 10.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से जला हुआ केबिल बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रामपाल पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम बुच्चाखेडी थाना कैराना जिला शामली हाल निवासी ग्राम मन्दवाडा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. जला हुआ केबिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. है0का0 संजीव थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.12.2024 को थाना आदर्श मण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना आदर्श मण्डी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक आदर्श मण्डी को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वसीम पुत्र अमरदराज निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री मनेन्द्र सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2. है०का० शौकीन राणा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।



थाना बाबरी/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.फरीद पुत्र शहनवाज निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.राकिब पुत्र यामीन उर्फ सिन्ना निवासी कोठडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- 3.संजीव पुत्र बिरमपाल निवासी कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.मन्नू पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 7,150/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2008 में अभियुक्त मेहरबान पुत्र जरीफ निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 928/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।
2. वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली 2.शमशाद पुत्र मारुफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 519/23 धारा 11(1)e पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 50-50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 1999 में अभियुक्त संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कन्डेला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 139/99 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2002 में अभियुक्त निशू पुत्र सहीराम निवासी मौहल्ला हरिनगर जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 378/02 धारा 3/5/8 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2002 में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी डा0 बनीता वाली गली शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 426/02 धारा 39/49 विद्युत अधिनियम भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.मेहरबान पुत्र जरीफ निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली।
2. सुहेल पुत्र अनवर निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.शमशाद पुत्र मारुफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4. संजय पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कन्डेला थाना कैराना जनपद शामली।
5. निशू पुत्र सहीराम निवासी मौहल्ला हरिनगर जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।
6. महेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी डा0 बनीता वाली गली शामली।